न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 09/2015/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद इकबाल पुत्र निजाम, सैक्टर नम्बर 55 फरीदाबाद

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांकः—20.12.2019**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि घरेलु गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग रोकने के लिए दिनांक 11.03.2008 को जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सीकर के नेतृत्व में परिवहन विभाग के स्टॉफ के साथ संयुक्त रूप से वाहनों की जांच की गई। जांच में बजरंग कांटा, देवीपुरा बालाजी सीकर के पास वाहन संख्या DL-4c/E1326 (मारूती 800) में बी0पी0सी0 कम्पनी का घरेलु गैस सलैण्डर 14.2 किग्रा. क्षमता का लगा पाया, जिससे वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर से से वाहन चलाकर इसका व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाया गया, जो एल0पी0जी0(रेगयुलेशन ऑफ यूज इन मोटर विहिकल्स) ऑर्डर 2001 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया। उक्त गैस सलैण्डर SR. No. 344 901-s को तौलने पर उसमें 7.8 किग्रा गैस पायी गयी। उक्त गैस सलैण्डर को वाहन चालक मोहम्मद इकबाल पुत्र निजाम सेक्टर न. 55 फरिदाबाद से व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर वजह सबूत जब्त सरकार किया गया। वाहन के रजिस्ट्रेशन में रविन्द्रसिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह ओल्ड सलीमपुर गॉधी नगर दिल्ली, वाहन मालिक का नाम दर्ज है। उक्त सलैण्डर को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मै0 विक्रम गैस सर्विस सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी में दिया गया। अतः श्रीमान जी से निवदेन है कि उपरोक्त आधार पर उक्त एक बी0पी0सी0 कम्पनी का घरेलु गैस सलैण्डर को मय गैस राजसात करने की कृपा करें। चूकिं गैस विस्फोटक, ज्वलनशील द्रवित पदार्थ है अतः धारा 6ए(2) ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत इसका अन्तरिम निस्तारण आदेश भी अविलम्ब फरमाए जाने की कृपा करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में फर्द मौका चैकिंग के मुताबिक घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच के क्रम में बजरंग कांटा देवीपुरा बालाजी मन्दिर के पास जांच के दौरान वाहन मारूती 800 नम्बर DL-4c/E1326 को रूकवाकर जांच करने पर उसमे बीपीसी कम्पनी का घरेलू गैस सिलेण्डर लगा हुआ पाया गया, जिसमें 7.800 किलोग्राम गैस पायी गई। इस प्रकार घरेलु गैस सलैण्डर से वाहन चलाकर इसका व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया, जो एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 एवं एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2001 के प्रावधानों का

उल्लघंन किया गया। मौके पर वाहन मोहम्मद इकबाल पुत्र निजाम सेक्टर नम्बर 55 फरीदाबाद हरियाणा द्वारा चलाया जा रहा पाया। घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत मौके पर जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स विक्रम गैस सर्विस सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी में सम्भलाया गया। अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित रहा एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का उपयोग वाहन चलाने उपयोग में नहीं किया जा रहा था। जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस क्षरित योग्य है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशील पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस मात्रा 7.800 कि.ग्रा. का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। जिला रसद अधिकारी जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त न्यायालय के अन्तिम निर्णय के मुताबिक निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को सुचित कर देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर